

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांक: एफ. 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10062

दिनांक: 06-10-2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (पंचायत), राजस्थान

विषय:—पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव, 2026 – नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:—

क्र.सं.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण
1	2	3
1	नाम निर्देशन पत्र – प्ररूप 4-क	नामनिर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरी जानी है कोई भी कॉलम रिक्त नहीं (संतान संबंधी योग्यता को छोड़कर) होना चाहिए।
2	प्ररूप 4 घ	प्ररूप 4 घ पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। इसका भी कोई कॉलम रिक्त नहीं (संतान संबंधी योग्यता को छोड़कर) होना चाहिए। बिन्दु संख्या 1 – विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 2– आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धि से संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 3– वर्तमान में संतान संबंधी योग्यता के प्रावधान विलोपित कर दिये गये हैं। अतः सूचना प्रस्तुत करनी आवश्यक नहीं है। बिन्दु संख्या 4–सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 2 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता के निर्धारण के लिए है। किन्तु बिन्दु संख्या 3 एवं 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता निर्धारित नहीं होती हैं।
3	उपाबन्ध-I A (शपथ पत्र)	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पत्तियों एवं देयता (Dues) की सूचना प्राप्त किये जाने के लिए भरा जाना है। उक्त प्रारूप 50/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष सम्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र का कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए।

4	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र/ अंडरटेकिंग	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (थ) में वर्णित प्रावधानानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है।
5	नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करना कब आवश्यक होगा/कब आवश्यक नहीं होगा।	1. धारा 19 (झ) के अनुसार यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित कर या फीस की राशि बकाया हो और उस बकाया राशि जमा कराने का संबंधित संस्था द्वारा नोटिस दिया गया है। नोटिस की तिथि से 2 माह तक यदि उक्त बकाया जमा नहीं कराई गई है तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए निर्योग्य होगा। परन्तु ऐसा व्यक्ति यदि बकाया राशि अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पहले जमा करा देता है और जमा की रसीद या नो-ड्यूज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह निर्योग्य नहीं होगा। 2. धारा 19 (ड) पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का सभापति/उपसभापति रहते हुए पंचायती राज संस्था के शोध्य (Dues) यदि नोटिस की प्राप्ति के बाद दो माह तक जमा नहीं कराता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (Defaulter) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह चुनाव लड़ने के लिए निर्योग्य होगा। परन्तु ऐसा व्यक्ति यदि शोध्य राशि को अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पहले जमा करा देता है और जमा की रसीद या नो-ड्यूज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह निर्योग्य नहीं होगा। 3. चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी जिस पर धारा 19 (झ) एवं धारा 19 (ड) के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का नो-ड्यूज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
6	चरित्र प्रमाण पत्र	संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है।
7	जाति प्रमाण पत्र	1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो कलक्टर या राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी साधारण वार्ड से चुनाव लड़ने से विवर्जित नहीं होगा। 3. कोई पुरुष अभ्यर्थी महिला के लिए आरक्षित किसी वार्ड से नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।
8	जमानत राशि के संबंध में	राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के अनुसार जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य पद का चुनाव लड़े जाने हेतु जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क रु. 500 है तथा महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु. 250 है। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि सामान्य वार्ड से नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत राशि में रियायत चाहता है तो उसे कलक्टर या राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9	सांख्यिकी सूचना	नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएँ उपलब्ध हो सकें।
10	नामनिर्देशन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रारूप	नामनिर्देशन पत्र (4-क), प्ररूप 4घ, उपाबन्ध-1A कार्यशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के प्ररूप आयोग द्वारा पर्याप्त मात्रा में जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। 1. आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्ररूप उपलब्ध कराये गये हैं, अभ्यर्थी द्वारा प्रथमतः उक्त प्राधिकारियों से प्राप्त प्ररूप ही प्रयुक्त किये जायें। 2. यदि आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनकी फोटो प्रति प्रयुक्त की जाये। 3. उक्त के अतिरिक्त टाईप किये हुए प्ररूप जिसमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हो प्रयुक्त किया जा सकेगा। 4. हस्त लिखित नामनिर्देशन पत्र एवं संलग्न प्ररूप/पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

नाम निर्देशन पत्र एवं इसके साथ संलग्न किए जाने वाले घोषणा/शपथ पत्रों के किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं **(संतान संबंधी योग्यता को छोड़कर)** छोड़ा जाएगा। कॉलम के रिक्त होने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस आशय का एक मीमो संबंधित अभ्यर्थी को दिया जाएगा। पूर्व के प्रस्तुत शपथ पत्र में संशोधन विधि पूर्ण नहीं होगा। अतः आक्षेप की पूर्ति के लिए पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मीमो की प्राप्ति के पश्चात् भी अभ्यर्थी द्वारा रिक्त कॉलम की पूर्ति नहीं की जाती है अथवा जहां पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, वहां पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 06-10-2026

क्रमांक: एफ. 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10063-68
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव